

संख्या - 15-7-04-168

प्रश्नक

सेवा में

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 17

महोदय

उपर्युक्त विषय को और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने से इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की प्रंजीकृत तौसायती का सभ्य-सभ्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा 9
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 सा0 शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

Sun Valley International School A-1, Vaishali Ghaziabad (U.P.)

Sun Valley International School Vaishali, Ghaziabad (U.P.)

SUN VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL A-1, Vaishali

- 15 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 16 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 17 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 18 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 19 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के मूल्यानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक यां शिक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भद्रीय,

पू०सं० एवं दिनांक तैव

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
 - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~उत्तर प्रदेश~~
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~उत्तर प्रदेश~~
 - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 5- प्रबंधक, ~~उत्तर प्रदेश~~
 - 6- गार्ड फ़ाइल।

R. M. ~~...~~
Manager

SUN VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL
A-1, Sec.-1, Vaishali, Ghaziabad

~~Principal~~
Sun Valley International School
A-1, Sector-1, Vaishali
Ghaziabad (U.P.)

आज्ञा से,

~~Principal~~
Sun Valley International School
Vaishali, Ghaziabad (U.P.)